न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 127/2024 GCMS No.—2024/119

रविकान्त पुत्र सांवरमल जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कलवानियों का बास, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार उपतहसील अमरसर जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.09.2024 न्यायालय उपतहसीलदार अमरसर जिला जयपुर बमुकदमा संख्या 12/2024 उनवानी सरकार बनाम रविकान्त व अन्य अर्न्तगत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री बनवारी शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

सत्यमेव जयते

निर्णय दिनांकः 28.11.2024

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि उप तहसीलदार अमरसर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 09.09.2024 से अपीलांट द्वारा ग्राम कलवानियों का बास, तहसील शाहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता अनाधिकृत रूप से बाड व जोत लगाकर अवैध अतिचार किये जाने के कारण, अपीलांट को अतिचारी मानकर उक्त आराजी किस्म चारागाह से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.08 रूपये का 50 गुना 4 रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर अतिक्रमी अपीलांट को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये गये। अपीलांट ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन आदेश से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त हुयी एवं उपतहसीलदार अमरसर से जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थन पत्र इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 1170 गलत रूप से दर्ज हो गया उक्त खसरा नंबर खातेदारी भूमि व खसरा नंबर 1180 दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया जो कानूनन उचित नहीं है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है बल्कि भूमि दो गांवो

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

क्रमशः कलवानियो का बास तथा गोपालपुरा की सीमाओ पर स्थित है तथा सीमाएं ओवरलेप है जिससे भूमि की सीमाओं का सही निर्धारण नहीं हो पा रहा है। अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि पर ही काबिज काश्त है। अपीलांट की भूमि के आगे नाले की भूमि है तथा उसके पश्चात रास्ता स्थित है जो यथावत पूर्ववत चालू है सीमाओ का ओवरलेप के कारण सही सीमा ज्ञान नहीं होने के कारण वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं हो पा रहा है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत बाबत कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की भूमि से अवैध रास्ता निकाला जा रहा है जबकि रोड के मध्य से रास्ते की भूमि का आंकलन किये जाने पर अपीलांट का किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली क्रमांक 12/24 उनवानी सरकार बनाम रविकान्त में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 को निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट को राजकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 09.09.2024 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्राावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम कलवानियो का बास, तहसील शाहपुरा स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.039 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए जिसके पश्चात अपीलांट अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.09.2024 द्वारा अपीलांट को से बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये। प्रकरण में अपीलांट द्वारा जाहिर किया गया है कि अपीलाधीन राजकीय भूमि के लगती हुई अपीलांट की खातेदारी भूमि है एवं अपीलाधीन राजकीय भूमि दो गांवो की सीमा पर स्थित है एवं अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण/अतिचार नहीं किया है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2023 अनुसार भी उक्त दोनो ग्रामों

कलवानियो का बास, गोपालपुरा की सीमा में **overlap** की समस्या पायी जाना जाहिर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के संबंध में एवं अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आक्षेप के संबंध में अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व गौर नहीं किया जाना जाहिर होता है। इसलिए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, अमरसर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2024 बउनवानी सरकार बनाम रविकान्त में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपतहसीलदार अमरसर को इस निर्देश कि साथ **(REMAND)** प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर, विवादित भूमि के संबंध में नियमानुसार सीमा ज्ञान कराकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानो अनुसार पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर